संख्या–2166 / सैंतीस–2–2022–5(53)टी0सी0–2

प्रेषक,

डॉ0 रजनीश दुबे,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
(2) निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(3) निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कार्यकारी अधिकरी, उ0प्र0 पशुधन विकास बोर्ड, उ0प्र0 लखनऊ।

पशुधन अनुभाग–2 लखनऊ :: दिनांक २० अक्टूबर, 2022

विषयः–पशुपालन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का सतत् गहन अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगंत हैं कि उत्तर प्रदेश विशाल पशु संख्या वाला प्रदेश है। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार प्रदेश में 190.19 लाख गोवंश, 330.16 लाख महिषवंशीय पशु, 9.84 लाख भेंड एवं 144.80 लाख बकरी का पालन किया जा रहा है। उक्त के अतिरिक्त लगभग 11.84 लाख निराश्रित गोवंश भी प्रदेश में आगणित किये गये हैं।

2. वर्तमान सरकार कृषकों की आय को दोगुनी किये जाने हेतु संकल्पित है। उक्त के अतिरिक्त निराश्रित गोवंश का संरक्षण भी वर्तमान सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है। इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु पशुपालन विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही है, जिन्हें सतत अनुश्रवण कराते हुए पूर्ण कराया जाना आवश्यक है।

3. शासन द्वारा सम्यक विचरोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि निम्नलिखित योजनाओं की निर्धारित समीक्षा बैठकें आहूत कर सतत अनुश्रवण करते हुए उन्हें पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायः–

1– निराश्रित गोवंश के संरक्षण हेतु शासनादेश दिनांक 02.01.2019 द्वारा निर्गत नीति के अन्तर्गत अस्थायी गो–आश्रय स्थलों की स्थापना की गयी है। उक्त नीति के अन्तर्गत यथा आवश्यकता अस्थायी गो आश्रय स्थलों का निर्माण कराकर क्रियाशील कराया जाय। इसी क्रम में रू0 1.20 करोड़ की लागत से प्रदेश में कुल 303 स्थायी गो संरक्षण केन्द्र स्वीकृत किये गये हैं, जिनमें से 229 केन्द्र क्रियाशील हैं। अवशेष 74 गो संरक्षण केन्द्रों का निर्माण शीर्ष प्राथमिकता पर कराते हुए उन्हें क्रियाशील कराया जाय।

(2) गो आश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में आ रहा व्यय तथा उपलब्ध वित्त पोषण के गैप की प्रतिपूर्ति हेतु पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश संख्या 1347 / 33–3–2022 दिनांक 03 जुलाई, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय, जिससे निराश्रित गोवंश के भरण–पोषण में धनाभाव की स्थिति उत्पन्न न हो।

(3) निराश्रित गोवंश / दुर्घटना ग्रस्त बड़े पशुओं को परिवहन हेतु कैटिल कैचर / मल्टी परपज वेहिकल की व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन के शासनादेश

संख्या–1854/33–2–2022–5913/2019, दिनांक 03.08.2022 (छायाप्रति संलग्न) निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2– प्रदेश के पश्चिमी 31 जनपदों में एल0एस0डी0 का प्रभाव है। प्रभावित जनपदों में लगभग 80 प्रतिशत टीकाकरण कराया जा चुका है। संक्रमण के प्रसार को प्रदेश के अन्य जनपदों में रोकने हेतु LSD का शत प्रतिशत टीकाकरण कराया जाना आवश्यक है। शासनादेश सख्या–2080/37–2–2022–1(5)/2022 दिनांक 12 अक्टूबर, 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा दिनांक 12.10.2022 से 22.10.2022 तक सघन अभियान चलाकर निर्धारित लक्ष्य के अनुसार टीकाकरण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

3– आजादी के अमृत महोत्सव में 100 दिवसीय मिशन 75 ए0आई0 के अन्तर्गत कृत्रिम गर्भाधान कार्य किया जाना है जिसमें 100 दिन के अन्दर मिशन 75 हेतु 75 लाख कृत्रिम गर्भाधान के लिए माइक्रोप्लान बनाकर कार्य किया जाय। इस योजना को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करने हेतु प्रति पशुचिकित्साधिकारी, प्रति पशुधन प्रसार अधिकारी तथा प्रति पैरावेट/पशुमैत्री का लक्ष्य निर्धारित करते हुए तथा शेष जनपद में इस कार्य से जुड़ी स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से करवाते हुए 100 दिनों में लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करायी जाय। इस हेतु पृथक से विस्तृत शासनादेश जारी किया जा रहा है।

4– मा0 प्रधानमंत्री जी भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम के अन्तर्गत किसान क्रेडिट कार्ड भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में प्रदेश के पशुपालकों (पशुपालन घटक) हेतु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 15 लाख का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। शासनादेश संख्या–1389/सैंतीस–2–2022 दिनांक 18 अगस्त 2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा जनपदवार लक्ष्य आवंटित करते हुए विस्तृत दिशा–निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त निर्देशों का अनुपालन करते हुए लक्ष्य पूर्ति कर ली जाय।

4. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

Signed by: डा0 रजनीश दुबे
Date: 20-10-2022 16:23:42
Reason: Approved
(डॉ0 रजनीश दुबे)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या–2166(1)/सैंतीस–2–2022तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।

(2) विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।